अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

पत्र संख्या–प0नि0 30–32/2017–2461
प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक–01 **जुलाई, 2021**

विषयः– **पंचायत आम निर्वाचन 2021 : मतपेटिकाओं की मरम्मति, ग्रिसिंग, तैलीकरण एवं रंगाई के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 26.06.2021 को अपराह्न 4.00 बजे तक सभी जिला पदाधिकारी–सह– जिला निर्वाचन पदाधिारी (पंचायत) के साथ माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही संसूचित ज्ञापांक 2422 दिनांक 29.06.2021 का संदर्भ लिया जाये।

उल्लेखनीय है कि पंचायत एवं ग्राम कचहरी के छः पदों पर एक साथ चुनाव कराये जाने के लिए ई0वी0एम0 की आवश्यकता एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये अवगत कराया गया कि चार पद यथा–जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य का निर्वाचन/मतदान M2EVM से तथा दो पद यथा– ग्राम कचहरी सरपंच एवं ग्राम कचहरी पंच का निर्वाचन/मतदान मतपत्र के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

आयोग द्वारा पाया गया है कि जिलों में संधारित राज्य निर्वाचन आयोग एवं भारत निर्वाचन आयोग की मतपेटिकाओं का रख–रखाव समुचित रूप से नहीं हो रहा है जिसके कारण बड़ी संख्या में मतपेटिकाएं जर्जर हो गयी हैं एवं ये कार्य हेतु अनुपयोगी होती जा रही हैं। विदित हो कि इन मतपेटिकाओं से पंचायत, सहकारी समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति एवं अन्य कई तरह के निर्वाचन संपन्न कराये जा रहे हैं।

2. आयोग चाहता है कि जिलों में संधारित राज्य निर्वाचन आयोग एवं भारत निर्वाचन आयोग की मतपेटिकाओं की मरम्मति अगर आवश्यक हो तो कराकर उन सभी को उपयोग में लाने लायक बना दिया जाय ताकि पंचायत आम निर्वाचन 2021 में उनका प्रयोग किया जा सके। इन सभी मतपेटिकाओं का स्प्रे पेंटिग किया जाना आवश्यक है। वैसी मतपेटिकायें जिनमें जंग लग चुका है, उनका जंग छुड़ाकर रेड ऑक्साइड की परत चढ़ाकर स्प्रे पेंटिंग किया जाय। 2016 के पंचायत निर्वाचन में इन मतपेटिकाओं की मरम्मति, ग्रिसिंग, तैलीकरण एवं रंगाई हेतु आयोग के पत्रांक 1635 दिनांक 18.09.2015 द्वारा निम्न दरों की स्वीकृति दी गयी थी :–

(1)	तैलीकरण एवं ग्रिसिंग	बड़ा – 1.00 रू0 प्रति मतपेटिका
		मध्यम – 0.80 पैसे प्रति मतपेटिका **(राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटिका भी मध्यम आकार की है)**
		छोटा – 0.60 पैसे प्रति मतपेटिका
(2)	मरम्मति टूटे हुये सामान के रहने पर	बड़ा – 32.00 रू0 प्रति मतपेटिका
		मध्यम – 30.00 रू0 प्रति मतपेटिका **(राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटिका भी मध्यम आकार की है)**
		छोटा – 25.00 रू0 प्रति मतपेटिका

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com

30.6.21

(3)	मरम्मति टूटे हुये सामान के नहीं रहने पर सामान के निर्धारित मूल्य के साथ	
(4)	स्प्रे पेंटिंग	बड़ा – 88.00 रू0 प्रति मतपेटिका
		मध्यम – 77.00 रू0 प्रति मतपेटिका **(राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटिका भी मध्यम आकार की है)**
		छोटा – 66.00 रू0 प्रति मतपेटिका

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में ग्राम कचहरी सरपंच एवं ग्राम कचहरी पंच के निर्वाचन के निमित प्रति मतदान केन्द्र के दो मतपेटिकाओं के आधार पर आकलन कर ली जाये। यदि समुचित संख्या में मतपेटिका उपलब्ध है, तो उनका उपयोग सभी चरणों में अलग–अलग किया जाय, अन्यथा उसका उपयोग विभिन्न चरणों में किया जा सकता है।

अतएव अनुरोध है कि पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु उपरोक्त वर्णित कार्य निर्धारित वित्तीय नियमावली के तहत दर का निर्धारण करते हुए **मतपेटिकाओं की मरम्मति, ग्रिसिंग, तैलीकरण एवं रंगाइ दिनांक 25.07.2021 तक आवश्य कर ली जाये एवं कृत कार्रवाई से आयोग को दिनांक 26.07.2021 तक अवगत कराई जाये।**

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30–32/2017– 2461 पटना, दिनांक– 01 जून, 2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 01/7/21